

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2021/102

प्रार्थी संदीप कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी अलीपुरा तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल रसीद खो जाने बाबत हलफनामा, वसीयतनामा, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि सही राम पुत्र भानी राम जाति मेघवाल निवासी अलीपुरा तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 31.07.2009 को वसीयत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 09.11.2018 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 31.07.2009 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाह सुनील कुमार पुत्र हेतराम एवं कुलदीप कुमार पुत्र सुलतान राम ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री ओम प्रकाश छाबडा अधिवक्ता ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।  
अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय



